deceleration in export growth has been noticed due to overall decline in demand for both diamonds as well as studded jewellery in a number of major markets. As also a fall in F.O.B. prices of cut polished diamonds.

(d) and (e) Exporters of gem & jewellery have brought to the notice of the Govt. that the revised interest rates on post-shipment credit and routing of import documents through banks have added to their costs and consequently have affected their competitiveness in the World market. Keeping in view the present scenario in this sector, RBI has recently lowered the interest rates on post-shipment credit and has also allowed authorised dealers to receive import documents up to US$ 25,000 by value on its equivalent direct from the overseas seller subject to fulfilment of certain requirements.

Refusal of Maternity leave in Private Schools

1670. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the complaints of refusal of maternity leave in the private schools; and

(b) if so, the steps taken/being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) To (b) except in the case of mines and circus industry the provisions of the Maternity Benefit Act, 1961 are being administered by the State Governments. Therefore, the complaint regarding refusal of such facilities in private schools or any other establishments are made directly to or referred to the concerned State Government, who take further appropriate action as per laws.

खनिज भंडारों का पता लगाने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किया गया सर्वेक्षण

1671. **श्री अनन्तराव देवशंकर दवे:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप पता लगाए गए खनिज भंडारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने खनिज भंडारों का तेजी से पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) क्या इस संबंध में भागीदारी करने हेतु किसी बहु-राष्ट्रिक कंपनी/किन्हीं निजी औद्योगिक घरानों को आमंत्रित किया गया है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन महत्वपूर्ण अतिरिक्त खनिज संसाधनों का पता लगाया गया जिसमें निम्नलिखित खनिज संसाधन शामिल है:

(1) आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्रों में लगभग 4117.54 मिलियन टन कोयला।

(2) गुजरात और तमिलनाडु में लगभग 270 मिलियन टन लिग्नाइट

(3) उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 1.07% से 6.63% सीसे और जस्ते की मात्रा सहित 6.84 मिलियन टन सीसा-जस्तक अयस्क।

(4) बिहार में 3.93% धातु की मात्रा सहित 0.43 मिलियन टन तांबा-सीसा-जस्ता अयस्क।

(5) मध्य प्रदेश में 7.38 मी॰ सघन अयस्क क्षेत्र जिसमें 1.66% तांबा और 8.61% जस्ता और महाराष्ट्र में 1.2% तांबा सहित 0.7 मिलियन टन अयस्क।

(6) कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 1.28 से 11.99 ग्राम/टन औसत ग्रेड वाले स्वर्ण का लगभग 6.83 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क। इसके अलावा केरल, राजस्थान, उड़ीसा और बिहार में अनेक आशाजनक स्वर्णमय क्षेत्रों का पता लगाया गया है।

(7) मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के पयालीखंड-बेहरादीह-कोडोमाले क्षेत्रों और आंध्र प्रदेश के मद्दुर किम्बरलाइट प्रांत में किम्बरलाइट शैल, जो हीरों का शैल है, का पता चला है।

(8) उड़ीसा में 20% कट आफ ग्रेड का 7.34 मिलियन टन मैग्नीज अयस्क और मध्य प्रदेश में मध्यम ग्रेड का 2.17 मिलियन टन मैग्नीज अयस्क।

(9) अनुमान है कि लिलांग घाटी, मेघालय में उच्च ग्रेड के 2265 मिलियन टन चूना-पत्थर भंडार हैं।

(10) तमिलनाडु में 3.38 मिलियन टन (0.05% से 0.116% एम ओ) मोलिब्डेनम अयस्क

(11) उमपार्था, मेघालय में सूचित किए गए आधारभूत खनिजीकरण का विस्तार।

(ग) खनिज गवेषण एक सतत प्रक्रिया है और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष खनिज अन्वेषण का कार्य करता है।

(घ) खनिज नीति के उदारीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनियों/निजी क्षेत्रों को सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार खनिजों का गवेषण करने की अनुमति दी गई है।

Policy formulation for development of SSI units during the 9th Plan

1672. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government propose to take policy decisions for the development of small scale industrial units in the country in the Ninth Plan;

(b) if so, the details thereof with the objectives;

(c) whether Government also propose to make a code of conduct for sub-contracting, promotion of sub-contracting exchanges through systematic information on SSI capabilities etc.; and

(d) if so, the details thereof with other provisions to be made?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) Necessary changes in policies and programmes for the development of Small Scale Industrial units in the country are a continuous process. The 9th Five Year Plan is yet to be finalised and clear picture will emerge only after the finalisation of the strategies in the 9th Plan.

(c) and (d) Sub-Group on Ancillary & Sub-contracting of the Working Group on Small Scale Industries for the Ninth Five Year Plan (1997-2002) has suggested on the need for developing a national Code of conduct for promoting sub-Contracting in the SSI Sector. No decision has, however, been taken on this as Ninth Plan is yet to be finalised.

भारत में विदेशी उपक्रमों द्वारा निवेश

1673. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद कितने विदेशी उपक्रमों को भारत से निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है और रुपयों में कितनी राशि की अनुमति दी गई है;

(ख) इसमें से कितनी राशि का निवेश उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन हेतु किये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या इससे भारत के कुटीर और लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) वर्तमान सरकार द्वारा 30.9.96 तक कुल 760 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं जिनमें 15167.77 करोड़ रुपये के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की परिकल्पना है, अनुमोदित किया गया है।

उपर्युक्त अवधि के लिए अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के क्षेत्रीय-वार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 179 अनुपत्र सं० 36] इसमें उपभोक्ता वस्तुओं सहित सभी क्षेत्रों के आंकड़े शामिल हैं।

(ग) लघु क्षेत्र के लिए 836 मदों के आरक्षण हेतु प्रावधान है। यदि कोई औद्योगिक इकाई लघु क्षेत्र में नहीं है और वह लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का